क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

271
2002

नीति

रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास

लघु उद्योगों के कार्य निष्पादन पर बहुत से आंतरिक और बाह्य घटकों ने दबाव डाला है जिसकी वजह से कई इकाइयां रुग्ण हो गयी हैं। कुछ अरसे से, लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लघु उद्योग इकाइयां, जो रुग्ण के रूप में पहचानी गयी हैं, संभाव्यतः समर्थ नहीं पायी गयीं।

इस समस्या और अन्य संबद्ध मामलों से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2000 में, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष श्री एस.एस. कोहली की अध्यक्षता में रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वास पर एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। दल ने जून 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों की पहचान और वर्गीकरण हेतु दिये गये मानदंडों में बदलाव सहित, की गयी सभी मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर रुग्ण और संभाव्य रूप से समर्थ इकाइयों के संबंध में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया है। ये इस प्रकार हैं:

शुरुआती रुग्णता

शाखा अधिकारियों को चाहिए कि वे खातों में परिचालनों पर कड़ी निगाह रखें और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उपाय करें। वित्तपोषित इकाइयों के प्रबंधकों को उनकी प्राथमिक जिम्मेवारी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए कि यदि वे इस तरह की समस्याओं में उलझ जायें जो इकाई को रुग्ण बना सकती हों, तो उसके बारे में बैंकों को सूचित करें ताकि इकाइयों की सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। शाखा स्तर पर भी संगठनात्मक व्यवस्थाएं भी पूरी मुस्तैदी से की जानी चाहिए ताकि रुग्णता का, शुरुआती दौर में ही पता चल सके और उसके लिए यथोचित उपचारात्मक उपाय किये जा सकें। बैंक/वित्तीय संस्थाएं कारगर निगरानी के ज़रिये बीमारी के लक्षण दर्शाने वाली इकाइयों का पता लगायें और, ज़रूरत पड़ने पर, अतिरिक्त वित्त उपलब्ध करायें ताकि उन्हें फिर से पटरी पर लाया जा सके। शुरुआती रुग्णता दर्शाने वाले खतरे के संकेतों, जो उधार खातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों, जैसे आवधिक वित्तीय आंकड़े, स्टॉक विवरणियां, फैक्टरी परिसरों और गोदामों आदि के निरीक्षण की रिपोर्टें, की पड़ताल के दौरान सामने आये हैं, की एक व्याख्यात्मक सूची बॉक्स में दी जा रही है। यह परिचालन कार्मिकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा, बैंकों में शुरू की गयी, आस्ति वर्गीकरण की प्रणाली भी ऐसे अग्रिमों का समय रहते पता लगाने में उपयोगी रहेगी जो गुणवत्ता की दृष्टि से गिरावट दर्शा रहे हैं। जब भी कोई अग्रिम, मानदण्डों के अनुसार, गिर कर, उप-मानक श्रेणी तक नीचे आ जाता है तो शाखा को चाहिए कि वह इकाई के वित्तीय स्वास्थ्य, उसके परिचालनों आदि के बारे में पूरी खोजबीन करे और उपचारात्मक उपाय करे। ऐसे शाखा अधिकारी, जो उधार खाते के दिन-प्रतिदिन के परिचालनों से अच्छी तरह से परिचित हैं, इस तरह के दायित्व को निभायें कि वे खतरे के शुरूआती संकेतों का पता लगायें और तत्काल सुधारात्मक उपाय शुरू कर दें। इस तरह के उपायों में, सिद्ध ज़रूरत के आधार पर, समय रहते वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यदि ऐसा करना शाखा प्रबंधक के अधिकारों में आता हो, और जहां अपेक्षित राहत उसे दी गयी शक्तियों से परे हो, नियंत्रक कार्यालय को तत्काल अवगत कराना, शामिल हैं। शाखा प्रबंधक ऐसी समस्याएं सुलझाने में भी इकाई की मदद कर सकते हैं जो गैर-वित्तीय प्रकृति की हैं और जिनके लिए बाहरी एजेन्सियों जैसे सरकारी विभाग/उद्यम, बिजली बोर्ड आदि की सहायता की ज़रूरत है। शाखा प्रबंधक, जहां कहीं भी मीयादी ऋण संस्थाएं इस तरह के मामले से जुड़ी हुई हों, को भी स्थिति के बारे में अवगत कराते रहें।

रुग्ण लघु औद्योगिक इकाई की परिभाषा

कोई लघु औद्योगिक इकाई उस स्थिति में रुग्ण मानी जा सकती है यदि -

(क) इकाई का कोई उधार खाता, छः माह तक अवमानक बना रहता है अर्थात् उसके उधार खाते के संबंध में मूल धन और ब्याज एक वर्ष की अवधि से अधिक तक अतिदेय बने रहते हैं। अतिदेय अवधि के एक वर्ष से परे चले जाने की शर्त उस स्थिति में भी अपरिवर्तित बनी रहेगी यदि किसी खाते की अवमानक के रूप में वर्गीकरण के लिए वर्तमान अवधि यथा समय घटा दी जाती है ; अथवा,

विषय सूची

पृष्ठ

नीति

रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास 1
एटीएम पर विज्ञापन 4

शाखा बैंकिंग

निर्यात आय की वसूली की अवधि बढ़ायी गयी 4
लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए संपार्श्विक ज़मानत छूट सीमा 4
मृतक ग्राहकों की आस्तियां 4

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

एडीआर/जीडीआर की द्विमार्गी परिवर्तनशीलता 4

(ख) पिछले लेखाकरण वर्ष के दौरान उसकी शुद्ध मिल्कियत के 50 प्रतिशत की सीमा तक जमा हो गयी नकदी हानियों की वजह से शुद्ध मिल्कियत में गिरावट आयी है; और

(ग) इकाई कम से कम दो वर्ष से वाणिज्यिक उत्पादन कर रही है।

लघु इकाई की उपर्युक्त परिभाषा हालांकि 31 मार्च 2002 को समाप्त होनेवाली छमाही के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने के प्रयोजन से अपनायी जा सकती है, पोषण (नर्सिंग) कार्यक्रम बनाने के प्रयोजन के लिए, बैंकों को चाहिए कि वे तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त परिभाषा अपनायें।

संभाव्यता

किसी इकाई को उस स्थिति में संभाव्यतः समर्थ माना जाये, जब वह बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, सरकारी (केंद्र/राज्य) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों से पैकेज की शुरुआत से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि तक फैलाव वाले राहत पैकेज को लागू करने के बाद इस स्थिति में हो कि, पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद, रियायतों की सहायता के बिना, पैकेज के अंतर्गत शामिल सहित, अपने ऐसे चुकौती दायित्वों का निर्वाह करने की स्थिति में है, जिनके लिए सहमति हुई है। पुनर्गठित (रीस्ट्रक्चर्ड) (पिछले) कर्जों की चुकौती के लिए चुकौती अवधि, पैकेज लागू करने की तारीख से सात वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अत्यंत छोटे/विकेंद्रीकृत क्षेत्र की इकाइयों के मामले में राहतों/रियायतों तथा पुनर्गठित ऋण की अदायगी की अवधियों, जो अब तक क्रमशः दो वर्ष और तीन वर्ष थीं, को संशोधित करके अन्य लघु औद्योगिक इकाइयों की ही तरह उन्हें क्रमशः पांच और सात वर्ष से अनधिक कर दिया गया है। इन मानदण्डों के आधार पर बैंक/वित्तीय संस्थाएं निर्धारित करें कि कोई रुग्ण लघु औद्योगिक इकाई संभाव्यतः समर्थ है अथवा नहीं। किसी इकाई की रुग्ण के रूप में संभावना का निर्णय तत्काल लिया जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, इसकी सूचना इकाई को तथा अन्य संबंधितों को दे दी जानी चाहिए। पुनर्वास पैकेज इकाई को 'संभाव्यतः समर्थ/समर्थ' घोषित किये जाने की तारीख से छः माह के भीतर पूरी तरह लागू कर दिया जाना चाहिए। पुनर्वास पैकेज की पहचान करते समय तथा उसे लागू करते समय, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को छः माह की अवधि के लिए 'होल्डिंग आपरेशन' करने के लिए सूचित किया गया है। इससे लघु औद्योगिक इकाई को इस तरह के 'होल्डिंग आपरेशन' की अवधि के दौरान नकदी ऋण खातों में से कम से कम अपनी बिक्री आय की जमाराशि की सीमा तक निधियां निकालने की सुविधा हो सकेगी।

अधिकार सौंपना

सहमति के अनुसार पुनर्वास पैकेजों को लागू करने में विलम्ब के पीछे जो कारण थे, उनमें से एक कारण था कि राहतों तथा रियायतों के लिए नियंत्रक कार्यालय से हरी झण्डी मिलने में समय बहुत लगता है। अतएव, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे विभिन्न स्तरों, उदाहरण के लिए, ज़िला, प्रभागीय, क्षेत्रीय, आंचलिक तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार सौंपें ताकि वे पुनर्वास पैकेज में अपने बैंक/वित्तीय संस्था के हिस्से की वचनबद्धता के लिए मंजूरी दे सकें।

राहतें तथा रियायतें

केवल ऐसी इकाइयों को ही पुनर्वास के लिए लिया जाना चाहिए जो संभाव्यतः समर्थ समझी जाती हैं। राहतें तथा रियायतें खैरात की तरह नहीं दी जानी हैं तथा यह वाणिज्यिक अभिनिर्णय तथा प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा तय की जानी चाहिये। बैंकों को यह आज़ादी है कि वे योग्य मामलों में मानदंडों से परे भी राहतें तथा रियायतें दे सकते हैं। दरअसल, व्यावहारिकता अध्ययन में ही जोखिमों के संबंध में संवेदनशील विश्लेषण शामिल होना चाहिए जिससे कि सुधारात्मक कार्रवाई का ढांचा तय करने में सुविधा रहेगी।

जानबूझकर कुप्रबंध, जानबूझकर चूक, निधियों को अनधिकृत रूप से इधर-उधर करने, भागीदारों/प्रोमोटरों आदि के बीच विवाद की वज़ह से रुग्ण हो गयी इकाइयों के पुनर्वास पर विचार नहीं किया जाना चाहिए तथा बैंक की देय राशियों की वसूली के लिए उपाय किये जाने चाहिए। जानबूझकर चूक की परिभाषा में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) पर्याप्त नकदी प्रवाह और अच्छी माली हालत के बावजूद जानबूझ कर देय राशियों की अदायगी न करना।

(ख) चूककर्ता इकाई का अहित करते हुए निधियां बाहर निकालना

लघु औद्योगिक इकाइयों में शुरुआती रुग्णता के खतरे के संकेत

* कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट खातों में निरंतर अनियमितताएं, उदाहरण के लिए, निरंतर आधार पर निर्धारित मार्जिन बनाये रखने में असमर्थता, अथवा मंजूर सीमाओं को अक्सर पार कर जाना, नामे लिखा गया आवधिक ब्याज वसूल हुए बिना रह जाना।
* कैश क्रेडिट खाते में बकाया शेष राशि लगातार अधिकतम पर बने रहना।
* मीयादी ऋणों की मूलधन और ब्याज की समय पर अदायगी में चूक होना।
* कच्चे माल, जल, विद्युत आदि के बिलों की अदायगी न होने के बारे में आपूर्तिकर्ताओं से शिकायतें।
* स्टॉक विवरणियां तथा अन्य नियंत्रण विवरणियां प्रस्तुत न किया जाना, या अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत करना या गलत विवरणियां प्रस्तुत करना।
* अन्य बैंकों में खातों के ज़रिये बिक्री से होने वाली आय को इधर-उधर करने के प्रयास।
* जमा गणनाओं में अधोगति की प्रवृत्ति।
* चेकों अथवा बिलों का बार-बार लौट आना।
* उत्पादन के आंकड़ों में लगातार गिरावट।
* बिक्री में गिरावट की प्रवृत्ति तथा लाभों में कमी।
* मांग सूचियों (इन्वैन्ट्रीज़) का बढ़ता स्तर, जिसके अन्तर्गत धीमे अथवा आगे न बढ़ रही मदों का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल हो सकता है।
* बिल खातों का बहुत बड़ा होना और लम्बे समय तक बकाया रहना।
* बैंकों के ज़रिये तय किये गये बिक्री दस्तावेजों पर लम्बी अवधि के क्रेडिट की अनुमति देना तथा उन्हें ग्राहकों द्वारा बार-बार लौटाया जाना तथा बिक्रियों पर बड़ी मात्रा में छूट देना।
* सांविधिक देयताओं के भुगतान में चूक।
* इकाई को चलाने के बजाये निधियों का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए करना।
* परिचालनों के संबंध में अपेक्षित सूचना/आंकड़े समय पर उपलब्ध न कराना।
* बिक्रियों/प्राप्य वस्तुओं के स्तर और उनकी तुलना में इकाई के परिचालन के स्तर में अनुचित/जमीन-आसमान का अंतर होना।
* स्टॉक निरीक्षणों आदि के संबंध में सहयोग न होना।
* देय किस्तों साखपत्रों/बैंक गारंटी आदि के अन्तर्गत देय किस्तों की चुकौती, सुस्पष्ट देयताओं की अदायगी करने में वचन पूरे करने में विलम्ब।
* प्राप्य वस्तुओं को गैर ऋण बैंकों के जरिये इधर-उधर करना/उनका मार्ग बदलना।

(ग) वित्तपोषित आस्तियां या तो खरीदी ही नहीं गयी हैं अथवा उन्हें बेच दिया गया है और उनसे जो आय हुई है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है।

(घ) अभिलेखों को गलत तरीके से/तोड़-मरोड़ कर पेश करना।

(ङ) बैंक की जानकारी के बिना प्रतिभूतियों का निपटान/बिक्री।

(च) उधारकर्ता द्वारा कपटपूर्ण लेनदेन।

निधियों के जानबूझ कर कुप्रबंध/चूक के संबंध में प्रमुख वित्तीय संस्था/बैंक के विचार ही अंतिम माने जायेंगे।

चूंकि रुग्ण इकाई की संभाव्यता तथा पुनर्वास प्रमुख रूप से इकाई द्वारा अपने चुकौती दायित्वों, जिनमें पिछले पुनर्गठित ऋण शामिल हैं, को पूरे करना जारी रखने की इकाई की क्षमता पर निर्भर करेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि ऋणों को बट्टे खाते डालने या उनका स्तर नीचे लाने, उदाहरण के लिए पूर्व प्रभाव से ब्याज दर में कमी आदि का कोई मामला नहीं है। इनमें निम्नलिखित मामले शामिल नहीं होंगेः

कैश क्रेडिट तथा मीयादी ऋण पर देय ब्याज

यदि ब्याज की दण्डस्वरूप दरें अथवा डैमेजेज़ वसूल कर लिये गये हैं तो इस तरह के प्रभार इकाई के उस लेखाकरण वर्ष से हटा दिये जाने चाहिए जब से उसने निरंतर रूप से नकदी हानियां उठाना शुरू किया है। इस कार्य के हो जाने के बाद, इस अवधि के मीयादी ऋणों और कैश क्रेडिट के अदत्त ब्याज कुल देयता से अलग करके उनका निधीयन करना चाहिए। निधीयन ब्याज पर कोई ब्याज न लगाया जाए और ऐसे निधीयन ब्याज की चुकौती पुनर्वास कार्यक्रम को लागू करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। जिस तारीख तक पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया और जिस तारीख से वास्तव में उसे लागू किया गया, इस बीच के प्रभारित ब्याज जैसे असमायोजित देय ब्याज का भी ऊपर सूचित किये अनुसार निधीयन किया जाए।

जहां आवश्यक हो वहां मीयादी ऋणों पर ब्याज दरें इस प्रकार घटायी जायें – अत्यंत लघु/विकेंद्रीकृत क्षेत्र इकाइयों के मामले में तीन प्रतिशत से अधिक नहीं और अन्य लघु उद्योग क्षेत्र इकाइयों के लिए दस्तावेज़ दर के नीचे, दो प्रतिशत से अधिक नहीं।

कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण

कैश क्रेडिट खाते के असमायोजित ब्याज का हिस्सा उपर्युक्त के अनुसार अलग किये जाने के बाद शेष मूल देयताओं को उस सीमा तक अनियमित समझा जाए जिस सीमा तक वह आहरण अधिकारों से बाहर नहीं जाती है। उस राशि का कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण के रूप में निधीयन किया जाए और उसकी चुकौती अनुसूची 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लागू ब्याज दर, अत्यंत लघु और विकेंद्रीकृत इकाइयों सहित, सभी रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के मामले में, मौजूदा नियत दर/प्रमुख उधार दर, जहां कहीं लागू हो, से 1.5 प्रतिशत पाइंट से लेकर 3 प्रतिशत कम होनी चाहिए।

नकदी हानियां

कोई इकाई जब तक लाभ-हानि नहीं के स्तर (ब्रेक ईवन पाइंट) तक नहीं पहुंच जाती, पुनर्वास कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में नकदी हानियां होने की संभावना रहती है। ब्याज को शामिल न करते हुए, इस तरह की हानियां, जो पोषण कार्यक्रम के दौरान वहन की जायें, भी उस स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वित्तपोषित की जायें यदि उन दोनों में से कोई एक वित्तदाता है। लेकिन यदि दोनों ही पुनर्वास पैकेज से जुड़े हुए हैं तो संबंधित वित्तीय संस्था को इस तरह की वित्तीय हानियों का वित्तपोषण करना चाहिए। उपलब्ध करायी गयी राशि पर ब्याज भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) द्वारा उसकी पुनर्वास सहायता के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लगाया जाये।

इस संदर्भ में भावी नकदी हानियां, पैकेज के लागू किये जाने से लेकर, जैसा कि दर्शाया गया है, ब्रेक ईवन पाइंट के दौरान की हानियों के रूप में मानी जायेंगी, इस तरह की भावी हानियों की गणना, बैंकों को देय, कार्यशील पूंजी आदि पर ब्याज, पहले की जानी चाहिए (अर्थात् ब्याज को शामिल न करते हुए) तथा उसका वित्तपोषण उस स्थिति में वित्तीय संस्था द्वारा किया जाना चाहिए यदि वह इकाई का वित्तपोषण करनेवालों में से एक है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय संस्था से यह नहीं अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह भावी नकदी हानियों की गणना में बैंकों को देय ब्याज के लिए वित्त उपलब्ध कराये और इसे भावी नकदी उपचित राशियों से पूरा किया जाना चाहिए।

बैंक को देय ब्याज के लिए अलग से वित्त जुटाया जाना चाहिए । अलबत्ता, जहां कोई वाणिज्यिक बैंक अकेला ही वित्तदाता है तो भावी नकदी हानियों के लिए, जिनमें ब्याज शामिल है, उसके द्वारा वित्त प्रदान किया जायेगा।

नकदी हानियों/ब्याज के लिए वित्त उपलब्ध करायी गयी राशियों पर ब्याज, सिडबी द्वारा उसकी पुनर्वास सहायता के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित दरों पर होगा।

कार्यशील पूंजी

कार्यशील पूंजी पर ब्याज मौजूदा नियत/प्रमुख उधार दर, जहां कहीं लागू हो, से 1.5 प्रतिशत कम पर वसूल किया जाये। अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमाएं प्रमुख उधार दर से अनधिक दर पर उपलब्ध करायी जायें।

आकस्मिक ऋण सहायता

पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजी व्यय में होनेवाली वृद्धि को पूरा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि, जहां कभी भी आवश्यक हो, वे आकस्मिक ऋण सहायता के रूप में पुनर्वास की अनुमानित लागत के 15 प्रतिशत तक यथोचित अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायें। इस आकस्मिक सहायता पर ब्याज कार्यशील पूंजी सहायता पर अनुमत रियायती दर पर वसूल किया जाये।

शुरुआती व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन

पुनर्वास के अंतर्गत इकाइयों को शुरुआती (स्टार्ट-अप) (दबाव डाल रहे देनदारों के भुगतान सहित) व्ययों के लिए अथवा कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी के लिए दीर्घकालिक ऋणों के रूप में कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जाये। ऐसे मामलों में, जहां वित्तीय संस्था जुड़ी हुई नहीं है, बैंकों को चाहिए कि वे शुरुआती व्ययों के लिए ऋण उपलब्ध करायें। मार्जिन मनी या तो सिडबी द्वारा उसकी पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत अथवा राज्य सरकार द्वारा, यदि वह मार्जिन मनी योजना चल रही है, उपलब्ध करायी जानी चाहिए। नये पुनर्वास मीयादी ऋण पर ब्याज, मौजूदा नियत दर/प्रमुख उधार दर, जहां कहीं लागू हो, से 1.5 प्रतिशत कम पर अथवा, जहां पुनर्वित्त सिडबी/नाबार्ड से प्राप्त किया गया है, तो उनके द्वारा निर्धारित दर पर वसूल किया जाना चाहिए।

समस्त ब्याज दर रियायतें, इकाई की निष्पादकता पर निर्भर करते हुए वार्षिक समीक्षा के अधीन होंगी।

प्रोमोटरों का योगदान

बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्वास पैकेज में प्रोमोटर का अंशदान, अत्यंत लघु औद्योगिक इकाइयों के मामले में पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत अतिरिक्त दीर्घकालिक अपेक्षाओं के न्यूनतम दस प्रतिशत पर तथा अन्य इकाइयों के लिए ऐसी अपेक्षाओं के 20 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। विकेंद्रीकृत क्षेत्र में इकाइयों के मामले में प्रोमोटर के अंशदान के लिए कोई बाध्यता नहीं रहती।

इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि पुनर्वास पैकेज के लिए मौजूदा सीमाओं को बढ़ाया जाये। अतएव, यह बैंकों/वित्तीय संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है कि जहां कभी भी आवश्यक हो, प्रोमोटर का उच्च अंशदान निर्धारित करें। प्रोमोटर के अंशदान का कम से कम 50 प्रतिशत तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और शेष राशि छः माह के भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। प्रोमोटर के अंशदान की गणना करने के लिए पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत निधियों की दीर्घकालिक आवश्यकता के अलावा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार द्वारा किये गये त्याग के मौद्रिक मूल्य को हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2001
28 फरवरी तथा 1 मार्च 2002 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

पैकेज तैयार करते समय, यह पूर्वशर्त रखी जानी चाहिए कि प्रोमोटर निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना अंशदान उपलब्ध करायेंगे। इसके अलावा, बैंक अपने मंजूरी पत्र में तथा अन्य दस्तावेजों में एक 'राइट ऑफ रीकम्पैंस' खण्ड शामिल करेंगे कि जब रुग्ण इकाई का कायाकल्प हो जाता है और पुनर्वास कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा किये गये त्याग की भरपाई इकाइयों में से उनके भावी लाभों/नकदी उपचित राशियों में से ही की जायेगी।

एटीएम पर विज्ञापन

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे शुल्क ले कर अपने एटीएम स्क्रीन पर अन्य निर्माताओं/डीलरों/विक्रेताओं (वेंडरों) के उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित न करें। ऐसा करना विज्ञापनबाजी है जोकि एक ऐसी गतिविधि है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत बैंकों द्वारा नहीं की जा सकती। अलबत्ता, बैंक अपने स्वयं के उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एटीएम स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं।

शाखा बैंकिंग

निर्यात आय की वसूली की अवधि बढ़ायी गयी

प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति दी गयी है कि वे, रिज़र्व बैंक को लिखे बिना, निर्यात आय की वसूली की अवधि, निर्यात की तारीख से छ: महीने से परे बढ़ा सकते हैं। क्रियाविधि में यह छूट ऐसे मामलों में लागू होगी जहां बीजक का मूल्य 1,00,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है। अलबत्ता, प्राधिकृत व्यापारी इस तरह की अवधि बढ़ाने की मंजूरी निर्यातक से आवेदन पत्र प्राप्त करने पर तथा निम्नलिखित शर्तों पर दे सकते हैं :

(i) प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट है कि निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण निर्यात आय वसूल करने में असफल रहा है;

(ii) निर्यातक इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करता है कि वह बढ़ायी गयी अवधि के भीतर निर्यात आय वसूल कर लेगा; तथा

(iii) अवधि विस्तार एक बार में तीन महीने की अवधि के लिए मंजूर किया जाये तथा निर्यात की तारीख से एक वर्ष से परे अवधि विस्तार पर विचार करते समय, निर्यातक की कुल निर्यात बकाया राशियां पिछले तीन वर्ष के दौरान वसूलियों के औसत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1,00,000 अमेरिकी डॉलर की अधिकतम सीमा उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहां निर्यातक ने विदेश में आयातक के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। ऐसी स्थितियों में, फंसी हुई राशि भले ही कुछ भी हो, एक बार में अवधि विस्तार छ: माह तक के लिए मंजूर किया जाये।

ऐसे मामलों के लिए, जो ऊपर बतायी गयी श्रेणियों में और साथ ही साथ नीचे बतायी गयी श्रेणियों में नहीं आते, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(क) जहां निर्यात बीजक प्रवर्त्तन निदेशालय/केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा किसी अन्य अन्वेषण एजेंसी द्वारा जांच के अधीन हैं।

(ख) जहां बीजक का मूल्य 1,00,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे निर्यात की तारीख से छ: महीने से परे के सभी बकाया निर्यात बिलों के बारे में पहले की तरह एक्सओएस विवरणी में रिपोर्ट करते रहें। जहां प्राथमिक व्यापारी समय में विस्तार की मंजूरी देते हैं, वहां वे टिप्पणी कॉलम में यह दर्शायें कि किस तारीख तक समय विस्तार मंजूर किया गया है।

लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए संपार्श्विक ज़मानत छूट सीमा

लघु औद्योगिक क्षेत्र को ऋण बेहतर मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक ने सभी लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए जमानतें प्राप्त करने के लिए उधार खातों पर छूट सीमा बढ़ा दी है। छूट की सीमा सभी लघु औद्योगिक इकाइयों के मामले में एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी है। मार्च 2000 में अत्यन्त लघु क्षेत्र के लिए संपार्श्विक जमानत प्राप्त करने के लिए उधार खातों पर छूट सीमा एक लाख रुपये से बढ़ा कर पांच लाख रुपये की गयी थी।

मृतक ग्राहकों की आस्तियां

रिज़र्व बैंक ने समस्त वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे मृतक जमाकर्ता के नाम जमाराशि अथवा उनकी अन्य आस्तियों को जारी करने के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह न करें। अन्य आस्तियों में सेफ कस्टडी में रखी वस्तुएं, अग्रिमों के लिए रखी प्रतिभूतियां आदि शामिल होंगी। अलबत्ता, बैंक, ऐसे मामलों में बैंक रक्षोपाय के रूप में कानूनी उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मांग सकता है, जहां विवाद है और सभी कानूनी उत्तराधिकारी बैंक को क्षतिपूर्ति बांड देने के लिए इकट्ठे नहीं होते; अथवा जब दावेदार/दावेदारों के बारे में मृतक ग्राहक के एकमात्र कानूनी वारिस/वारिस होने के बारे में बैंक को पर्याप्त संदेह हो।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

एडीआर/जीडीआर की द्विमार्गी परिवर्तनशीलता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स/ग्लोबल डिपॉज़िटरी रिसीट्स की सीमित द्विमार्गी परिवर्तनशीलता के लिए दिशानिर्देश लागू किये हैं। दिशानिर्देशों के अंतर्गत, एडीआर/जीडीआर को फिर से जारी करना, एडीआर/जीडीआर की उस सीमा तक अनुमत होगा जिस सीमा तक वे विमोचित किये गये हैं और मूल (अंडरलाइंग) शेयर घरेलू बाज़ार में बेचे गये हैं। पुनर्परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक की किसी विशिष्ट अनुमति की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस योजना के अंतर्गत शेयरों के एडीआर/जीडीआर में पुनर्परिवर्तन विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो निवेश से अलग होगा। लेनदेन मांग से प्रेरित होंगे और इस कारण इनके लिए कंपनी भागीदारी अथवा नये सिरे से अनुमतियों की ज़रूरत नहीं होगी। कस्टोडियन भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय अधिकतम सीमा के भीतर एडीआर/जीडीआर को फिर से जारी किये जाने की निगरानी करेंगे। इसके अलावा, प्रत्येक खरीद लेनदेन केवल सुपुर्दगी पर ही होगा और भुगतान बैंकिंग माध्यमों से विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जायेगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत दलाल एडीआर/जीडीआर की द्विमार्गी परिवर्तनशीलता में मध्यस्थों के रूप में काम करेंगे। इससे पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 मार्च 2001 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए दलालों को पहले ही आम अनुमति दे दी थी कि वे विदेशी निवेशकों की ओर से शेयर खरीद सकते हैं। गौण बाज़ार लेनदेनों के रूप में मध्यस्थों के जरिए विदेशी निवेशकों की ओर से शेयरों की खरीद सेबी की विनियामक सीमा के भीतर आयेंगे। चूंकि एडीआर/जीडीआर में शेयरों के पुनर्परिवर्तन के लिए मांग विदेशी निवेशकों की ओर से होगी न कि कंपनी की ओर से, लेनदेन में होनेवाले व्यय निवेशक द्वारा वहन किये जायेंगे। ये लेनदेन आयकर अधिनियम 1961 के अधीन होंगे।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित। **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**